भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3378 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

हरित सागर हरित पत्तन दिशानिर्देश

†3378. श्री यदुवीर वाडियार :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरित सागर हरित पत्तन दिशानिर्देश वर्तमान में केवल महापत्तनों पर ही लागू है, यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गैर-महापत्तनों और निजी टर्मिनलों द्वारा हरित पत्तन मानकों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति, प्रोत्साहन या अनुपालन ढांचा तैयार किया है अथवा बनाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों पर घरेलू और विदेशी जलयानों द्वारा तट से जहाज तक विद्युत सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विनियामक, प्रशुल्क या प्रचालनात्मक ढांचा निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हरित सागर हरित पत्तन दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए अपनाए गए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): 'हरित सागर' हरित पत्तन दिशानिर्देश, 2023 में महापत्तनों के लिए कार्बन तीव्रता को कम करने और पर्यावरण अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु विभिन्न हरित पहलें करने के संबंध में एक व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई है। महापत्तनों द्वारा हरित सागर हरित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए की गई पत्तन-वार प्रगति **अनुबंध** में दी गई है। इसके अलावा, मंत्रालय ने प्रदर्शन मूल्यांकन को संस्थागत बनाने के लिए, अक्टूबर 2025 में हरित पत्तन प्रदर्शन सूचकांक (जीपीपीआई) ढांचा शुरू किया है, जिसमें महापत्तनों की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन,

चक्रीय अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण सहित प्रमुख स्थिरता संकेतकों पर बेंचमार्किंग करने के लिए एक मानकीकृत तंत्र स्थापित करता है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के परिपत्र सं. 2025 का 09, "भारतीय पत्तनों और जलयानों पर तट-से-पोत विद्युत आपूर्ति (एसपीएस) के लिए अनुशंसित मानक" तथा पत्तन-विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और जोखिम आकलन के माध्यम से तट से पोत तक विद्युत आपूर्ति को कार्यान्वित करने हेतु तकनीकी सुरक्षा और परिचालन मानक स्थापित और लागू किए हैं।

अनुबंध

क्रम सं.	**पत्तन**	**पत्तन उपकरणों का विद्युतीकरण (% में)**		**नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग का हिस्सा (स्व. उत्पादित + ग्रिड से खरीद) (% में)**	
		2023	**2026**	**2023**	**2026**
1	डीपीए	88.9	89.47	31.2	55.49
2	एमबीपीए	100	100	13.9	85.44
3	जेएनपीए	13.4	22.78	2.7	57.88
4	एमजीपीए	100	100	1.2	9.62
5	एनएमपीए	100	100	100	100
6	सीओपीए	78.79	78.79	1	5.17
7	वीओसीपीए	55.1	80.5	5	94
8	सीएचपीए	9.52	11.11	2.4	2.18
9	केपीएल	77.78	79.2	50	66.9
10	वीपीए	80	83.3	34.9	51
11	पीपीए	59	68	0.1	0.25
12	एसएमपीए	36.8	37.8	4.2	5.6
